

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 07/2020 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।



आवेदक

बनाम

तामेश सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार जाति जाट उम्र 34 वर्ष मालिक एवं विक्रेता
अशोक ट्रेडिंग कम्पनी मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर निवासी शास्त्री नगर भरतपुर।

गैरसायल


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 09.09.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 08.07.2020 को
प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक
09.09.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह
उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक
09.09.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि
दिनांक 16.10.2019 को दोपहर 01.00 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण
किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान में 7 किग्रा 0 घी का विक्रय आम जनता के



न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1 किग्रा. घी 360/-रूपये में क़य किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-763/एक्ट/2019/741 दिनांक 04.12.2019 द्वारा उक्त मिश्रित घी का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित घी आम जनता को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1)(zx) and 3(l)(i) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन किया गया है।



आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोजेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से दूधियों से दूध क़य करके उसमें से क्रीम निकाल कर घी का निर्माण करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 16.10.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित घी का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.12.2019 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा दूधियों से दूध क़य करके उसमें से क्रीम निकाल कर घी का निर्माण करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 7 किग्रा0 घी ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योंकि उसके पास मात्र 7 किग्रा. घी ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 1 किग्रा. घी 360/- रूपये में क़य किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 7 किग्रा. घी की कीमत मात्र 2520/- रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)



छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दि. 09.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

h

(बीना माहवर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर